19.08.25 आज यह पत्रावली तहसीलदार भुसावर द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हुई। इन्द्रेश वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध कागजात अनुसार (1) जमाबंदी सं० 2080 ई० वाके ग्राम धोबलवाड़ा कलां में प्रार्थी का नाम महावीरराज कर दिया गया है अतः उसे महावीरराम शुद्ध किया जावे।

इसमें बहस अनुपयुक्त मान किया गया पत्रावली एवं रिपोर्ट तहसीलदार भुसावर का भलीभांति अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन पर हम प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि खाता सं० 628, खाता सं० 496, खाता सं० 535, खाता सं० 537 वाके ग्राम धोबलवाड़ा कलां में प्रार्थी का नाम महावीरराज पुत्र प्रेमसिंह के स्थान पर महावीरराम पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट नि० धोबलवाड़ा कलां तहसील भुसावर (भरतपुर) राज० शुद्ध किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज बाद तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

राधेश्याम मीणा
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०